**पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत नोटिस**

**(Notice u/sec. 138 of the N.I. Act, 1881)**

पंजीकृत AID

दिनांक.........

सेवा में,

स०द०फ०

.............

 ............ एडवोकेट

 .............कार्यालय

 ..........................

प्रिय महोदय,

अपने व्यवहारी के निर्देशानुसार और उनकी ओर से मेरे द्वारा निम्नांकित प्रस्तरों में उल्लिखित नोटिस प्रेषित किया जा रहा है।

1. यह कि आप द्वारा चैक नंबर ............ वास्ते रु० ............ बैंक से आहरित किये जाने हेतु, आपको लीज पर दिये गये मकान के लीज चार्जेज के रूप में मेरे व्यवहारी को दिनांक ... को दिया गया था।
2. यह कि मेरे व्यवहारी द्वारा उक्त चैक छ: माह के अन्दर ही/उसका वंछित की अविध में आपके ............ बैंक में प्रस्तुत किया गया जो कि आपके बैंकर द्वारा अनाहरित इस टिप्पणी के साथ लौटा दिया गया है “खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है।” बैंक की यह सूचना मेरे व्यवहारी को दिनांक ............ को मिली थी।
3. यह कि आपको लीज पर दिये गये मकान के सम्बन्ध में लीज शुल्क के सम्बन्ध में आप द्वारा भुगतान हमेशा चैक द्वारा ही किया जाता था परन्तु मेरे व्यवहारी द्वारा आपको सूचित किये जाने के बावजूद आप द्वारा अनाद्रित चैकों द्वारा भुगतान करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।
4. यह कि चैक दिनांक ............ के अनाद्रित होने के विषय में मेरे व्यवहारी द्वारा आपको मौखिक रूप से भी सूचित कर दिया गया था परन्तु आप उसका भुगतान करने में असफल रहे थे।
5. यह कि बैंक से सूचना के ३० दिन के अन्दर इस नोटिस के माध्यम से यह आगाह कर रहा हूँ कि आप अनाद्रित चैक का भुगतान अंकन रु० ............ मेरे व्यवहारी को इस नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर मय ब्याज @ 24% वार्षिक की दर से भुगतान कर दें अन्यथा असफल रहने पर मेरा व्यवहारी आपके विरुद्ध फौजदारी न्यायालय में धारा 138 NIA के अन्तर्गत शिकायती दावा दायर करने के लिए बाध्य हो जायेगा।

आप इस कानूनी नोटिस की फीस रु० 1100/- भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं। मेरे द्वारा इस नोटिस की एक प्रतिलिपि अपने कार्यालय में भविष्य में काम आने के लिए रख ली गई है.

**दिनांक............**

**आपका निष्ठावान**

**............ अधिवक्ता**